

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा / स.स. / बीपीसी / 2006 / डी- ३७८

दिनांक: १०/५/२०८६

**विषय:-** भवन मानचित्र समिति(बिल्डिंग प्लान) की 50 वीं बैठक दिनांक ८-५-२००६ को प्रातः ११.०० बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत् निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“१” पर है।

क्र. सं.	एजेंडा सं०	प्रकरण	निर्णय	लेय राशि रु.	अनुपा लना
1.	50.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 49 वीं बैठक दिनांक १०/१२-४-२००६ को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।	-	
2.	50.2	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 49वीं बैठक दिनांक १०/१२-४-२००६ में लिये गये निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा।	समिति द्वारा क्रियान्विती की समीक्षा पर सतोष व्यक्त किया गया।		
3.	50.3	भूखण्ड संख्या: 'ए', सेक्टर नं. 2, विद्याधर नगर में प्रस्तावित आवासीय फलेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन से बकाया क्षेत्रिक रियोर्ट ली जाकर एवं स्टिल्ट फलोर पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरट्रैकिंग लिए जाकर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किया जावे।		
4	50.4	भूखण्ड संख्या २ए, जगतपुरा बाईपास, जवाहर सर्किल के पास में व्यावसायिक माल/ मल्टीप्लेक्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-  1. आवंदक को भूखण्ड बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक हेतु जविप्रा द्वारा नीलामी से बेचान किया गया है अतः भवन मानचित्रों में प्रस्तावित ५ सिनेमा हालों की स्वीकृति दी जावे। 2. नागरिक उड्डयन विभाग की अनापत्ति के अनुसार अनुज्ञेय ऊंचाई ३० मीटर को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित ऊंचाई २९.९० मीटर स्वीकृत की जावे। 3. आवंदक द्वारा सिनेमा हालों के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनापत्ति उपरान्त निर्माण किये जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र को रखीकार किया गया लेकिन जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्राप्त कर जविप्रा में प्रस्तुत किये		

			<p>जाने के उपरान्त ही सिनेमा हालो का निर्माण किया जावे।</p> <p>4. अग्निसुरक्षा का प्रमाण पत्र एवं यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मानचित्र जारी से पूर्व लिया जावे।</p> <p>5. बेसमेन्ट-। व बेसमेन्ट-II में प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर भवन मानचित्र स्वीकृत कर जारी किये जावे।</p>	
5.	50.5	पुर्नगठित भूखण्ड सं० ७ व ८ गुरु जग्नेश्वर नगर, गांधी पथ, क्वीन्स रोड पर पेट्रोल पम्प के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।	
6.	50.6	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 138, 139, 153 व 154 हीरा नगर, अजमुर रोड में आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।	प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर एवं हीरा नगर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुक्रम में निर्णय लिया गया कि प्रकरण स्थगित रखा जावे तथा आगामी बैठक में हीरानगर विकास समिति के सदस्य एवं आवेदक को सुनवाई हेतु समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचित किया जावे।	
7.	50.7	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 136, 137, 155 व 156 हीरा नगर, अजमुर रोड में आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।	प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर एवं हीरा नगर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुक्रम में निर्णय लिया गया कि प्रकरण स्थगित रखा जावे तथा आगामी बैठक में हीरानगर विकास समिति के सदस्य एवं आवेदक को सुनवाई हेतु समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचित किया जावे।	
8.	50.8	भूखण्ड संख्या- जी, सेक्टर नं. 7, विद्याधर नगर में प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन से बकाया की रिपोर्ट ली जाकर प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।	
9.	50.9	खसरा नं. 172/88/3 ग्राम ब्रजलालपुरा, नये आतिश मार्केट के पास व्यावसायिक काम्पलेक्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निम्नानिकृत निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बेसमेन्ट व स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे।</li> <li>पुराने मकानात/भवन को प्रस्तावित निर्माण कार्य चालू किये जाने से पूर्व हटाये जाने हेतु</li> </ol>	

			<p>अण्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>3. अनिसुरक्षा का प्रमाण पत्र एवं यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मानचित्र जारी से पूर्व लिया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर भवन मानचित्र स्वीकृत कर जारी किये जावे।</p>	
10.	50.10	ग्राम श्री किशनपुरा के खसरा नं. 2, कमागत 7, 12, 20, 21, 25, व 26 रकबा 3.65 हेक्टर भूमि में दी पैलेस स्कूल के प्रस्तावित भवन मानचित्र।	<p>प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भवन विनियम 2000 के अनुसार चौकीदार रुम 6.25 वर्गमीटर से अधिक निर्माण को हटाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जाकर प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया जावे।</p>	
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त ऐजेंडाओं पर भी विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये:-				
11.	50.11	आशादोप-सी. खसरा नं. 619 श्री किशनपुरा तहसील-सांगानेर सेक्टर-30 के प्रस्तावित रेजिडेन्सियल अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बेसमेन्ट व स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे।</li> <li>अनिसुरक्षा का प्रमाण पत्र १, यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मानचित्र जारी होने से पूर्व लिया जावे।</li> <li>आवेदक द्वारा बेसमेन्ट में बेडमिटन कोर्ट, स्वर्वैश कोर्ट जिनकी ऊचाई डबल रखी गयी है एवं अन्य गतिविधियां बेसमेन्ट व स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित की गयी हैं जिसे अनुज्ञाय किया जावे।</li> </ol> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृत कर जारी किये जावे।</p>	
12.	50.12	मे. जी. इ. कैपिटल इन्टर नेशनल सर्विसेज भूखण्ड के मौका स्थिति अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भवन विनियम 2000 के अनुसार चौकीदार रुम 6.25 वर्गमीटर क्षेत्र ही अनुज्ञाय हैं जबकि संस्था द्वारा ३ चौकीदार रुम ५६.९२ वर्गमीटर के प्रस्तावित किये गये हैं अतः भवन विनियम 2000 की धारा ६.७ के अनुसार किसी भी प्रकार की शिथिलता दिये जाने के लिए राज्य सरकार अधिकृत है अतः प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।</li> <li>सामने के सेट बैंक में बेसमेन्ट में जाने के लिए सोडियां बनी हुई हैं जो अनुज्ञाय नहीं हैं। इस</li> </ol>	

		<p>संबंध में भी राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त किया जावे।</p> <p>संस्था के प्रतिनिधि एवं वास्तुविद द्वारा अवगत करवाया गया कि बेसमेन्ट में लैब का भी प्रावधान है जिसे स्थीकृत नहीं किया जा सकता।</p> <p>3. सामने के सेट बैंक में मीटर रुम 8.17 वर्गमीटर निर्मित किया गया है जबकि भवन विनियम 2000 के अनुसार विद्युत सेवाएं पार्श्व व पीछे के सेट बैंक में ही अनुज्ञेय हैं एवं इलेक्ट्रिक पैनल के लिए 2 वर्ग मीटर क्षेत्र ही अनुज्ञेय हैं अतः सामने के सेट बैंक में निर्मित मीटर रुम को अन्यत्र भवन विनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार रखे जाकर स्थापित किया जावे।</p> <p>4. सामने के सेट बैंक में निर्मित डी.जी. सेट रुम को पार्श्व या पीछे के सेट बैंक में भवन विनियम 2000 के अनुसार प्रावधानित अधिकतम अनुज्ञेय सीमा तक रखते हुए अन्यत्र स्थापित किया जावे।</p> <p>5. अग्निसुरक्षा का प्रमाण पत्र एवं यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>6. वास्तुविद की अण्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>7. लोअर व अपर बेसमेन्ट में दर्शाई गयी पार्किंग क्षेत्र को प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे।</p> <p>8. संशोधित मानचित्रों के अनुक्रम में प्राधिकरण की बैठक के अनुसार जो भी शुल्क बाबत निर्णय होगा वह संस्था को मान्य होगा, इस बाबत अण्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर भवन मानचित्र स्थोकृत कर जारी किये जावे।</p>
13.	50.13	<p>कृष्ण कृष्ण कियेशन द्वारा स्काउट केम्पस !!</p> <p>जगतपुरा के युप आवासीय के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि एजेण्डा में उल्लेखित विन्दुओं के अनुसार आवेदक से जविप्रा द्वारा जारी स्थल मानचित्र के अनुरूप संशोधित मानचित्र मांगे जावे एवं नागरिक उड़डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन की ऊंचाई के संबंध में लिया जावे।</p>

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

## परिशिष्ट - "1"

भवन मानवित्र समिति(बिल्डिंग प्लान) की 50वीं दैटक दिनांक 8.05.2006 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई। दैटक में उपस्थिति निम्नवत् थी:-

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | श्री जगदीश चन्द्र, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।                        | अध्यक्ष    |
| 2. | श्री बीरु सिंह राठौड़, विधायक                                     | सदस्य      |
| 3. | श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।              | सदस्य      |
| 4. | श्री श्वेत राहनी, अति.आयुक्त(पूर्व), जविप्रा, जयपुर।              | सदस्य      |
| 5. | श्री यश्मित्र देव सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा जयपुर। | सदस्य      |
| 6. | श्री नीरज तिवारी वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)जविप्रा,जयपुर।         | सदस्य सचिव |



सदस्य सचिव(बीपीसी)

क्रमांक: [जविप्रा / स.स. / बीपीसी / 2006 / डी- ३७१

दिनांक: १०/५/२००६

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय श्री बीरु सिंह राठौड़, विधायक
3. माननीय श्री कन्हैया लाल भीणा, विधायक
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति.आयुक्त(भूमि)पूर्व / पश्चिम, प्रशासन, जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन ..... जविप्रा, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव(बीपीसी)

जविप्रा, जयपुर।